

**कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लो0नि0वि0, सोनमद्र ।**

पत्रांक : 1033/67136 पी एम जी एस वाई/2020

दिनांक : 12-07-21

सेवा में,

प्रमाणीय वनाधिकारी  
सोनमद्र वन प्रभाग  
जनपद सोनमद्र ।

**विषय :-** जनपद सोनमद्र के सोनमद्र वन प्रभाग के अन्तर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत आर0पी0के0 किमी0 45 से चरगड़ा माची देवहार दरेब मड़पा मार्ग के किमी0 0.00 से 22.00 तक के निर्माण हेतु आरक्षित वन भूमि 15.255 हे0 आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 170 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

**सन्दर्भ :-** (1) विशेष सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन (अनुभाग-2) उ0प्र0 शासन लखनऊ के सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र सं0 P-60/81-2-2020-800(65)/2020 दिनांक 28.08.2020

(2) आपका पत्रांक- 539/सोनमद्र दि0 07-09-2020

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र (1) द्वारा विषयक प्रकरण के सम्बन्ध में प्रभावित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की सैद्धान्तिक अनुमति में वर्णित शर्तों के बिन्दुवार अनुपालन हेतु निम्नलिखित धनराशि (E-Payment Portal के माध्यम से जमा कर) रसीद (आन-लाइन प्रति) एवं वचनबद्धता प्रमाण पत्र की मूल हस्ताक्षरित 05-05 प्रतियों सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर निम्नानुसार प्रेषित है-

| S.NO. | CONDITIONS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | REPLY/ENCLOSERS                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | The forest area involved is not within a National Park and/or a Wild Life Sanctuary.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रश्नगत वन भूमि राष्ट्रीय उद्यान/वन्य जीव अभ्यारण्य/रिजर्व बाघ/हाथी कोरीडोर के अन्तर्गत नहीं आता है । इससे संबंधित प्रमाण-पत्र वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में संलग्न है ।                                                                 |
| 2     | User Agency (UA) Shall explore all feasible alternatives to minimize use of forest land.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि परियोजना हेतु प्रस्तावित वन भूमि की माँग न्यूनतम है एवं अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है । इससे संबंधित प्रमाण-पत्र वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में संलग्न है ।                                                                        |
| 3     | Forest land to be used shall be restricted to the bare minimum and shall be used only when it is unavoidable.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत करना है कि प्रश्नगत परियोजना हेतु न्यूनतम वन भूमि का उपयोग किया जायेगा । इससे संबंधित प्रमाण-पत्र वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में संलग्न है ।                                                                                                           |
| 4     | The UA will submit scheme for compensatory Afforestation as per extant guidelines in the matter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि क्षतिपूरक वनीकरण हेतु स्कीम वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में संलग्न है ।                                                                                                                                                                     |
| 5     | The UA shall pay the applicable NPV in pursuance of the orders of the Hon'ble supreme court.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | इस बिन्दु के अनुपालन में प्रभावित वन भूमि 15.255 हे0 वन भूमि का एन0पी0वी0 की धनराशि ₹0 9549630.00/- कैम्पा फण्ड में ई पोर्टल से ई-चालान के माध्यम से UTTAR PRADESH CAMPA, IFSC - CORP0000371, A/C No. 150906134160651 में जमा कर दिया गया है। जिसकी रसीद संलग्न है। (संलग्नक-1 एवं 2) |
| 6     | In addition to monthly report of diversions of forest land under General Approval accorded by MoEF&CC, each State /UT Government shall submit half yearly reports for the period ending June 30 and December 31 containing details of all forest lands diverted under the General Approval along with the actual status of actual utilization of the forest lands so diverted for the stated purpose, to the MoEF&CC and its concerned Regional Office. | शर्त संख्या-06 का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण से सम्बन्धित नहीं है।                                                                                                                                                                                                                      |

|    |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7  | The diversions and compliance to the conditions will be monitored by the concerned Regional Office, MoEF&CC.                                                                                                          | शर्त संख्या-07 का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण से सम्बन्धित नहीं है।                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8  | The legal status of the land shall remain unchanged.                                                                                                                                                                  | इस बिन्दु के अनुपालन में वन भूमि की वैधानिक स्थिति को परिवर्तन न किये जाने के संबंध में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न है।<br><u>संलग्नक- 3</u>                                                                                                                                                                                           |
| 9  | The project site should be outside protected area network and eco-sensitive zones (ESZ)                                                                                                                               | इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत करना है कि प्रश्नगत वन भूमि eco-sensitive zones(ESZ) जोन से बाहर है।                                                                                                                                                                                                                                      |
| 10 | The user agency will seek permission for diversion of forest land duly recommended by Principal Chief conservator for Forests and from State/UT Government.                                                           | इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि परिवेश पोर्टल पर अपलोड किये गये ऑन लाईन प्रस्ताव को सक्षम स्तर से अनुमोदन के उपरान्त ही उ0प्र0 सरकार द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति आदेश जारी किया गया है।                                                                                                                                       |
| 11 | The Nodal officer (Forest conservator) shall submit monthly report to the concerned regional office by 5th of every month regularly regarding approval of such cases.                                                 | शर्त संख्या-11 का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण से सम्बन्धित नहीं है।                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 12 | The User agency shall be responsible for ant loss to flora/fauna in the surroundings and therefore, shall take all possible measures in this regard.                                                                  | इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रश्नगत वन भूमि के आस-पास स्थिति को कोई क्षति नहीं पहुँचायी जायेगी। इस संबंध में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न है।<br><u>संलग्नक- 4</u>                                                                                                                                                       |
| 13 | The forest land shall not be used for any purpose other than specified in the proposal                                                                                                                                | इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रश्नगत वन भूमि का उपयोग अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा। इस संबंध में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न है।<br><u>संलग्नक- 5</u>                                                                                                                                                         |
| 14 | Entire process for settlement of rights in accordance with the provisions of FRA, 2006 shall be completed before grant of approval for diversion to such forest land.                                                 | इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी सोनमद्र द्वारा जारी प्रमाण-पत्र वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में संलग्न है।<br><u>संलग्नक- 6</u>                                                                                                                                                 |
| 15 | The state/UT forest department or state/UT Government or the concerned Regional office, may impose any other condition from time to time in the interest of conservation, protection and / or development fo forests. | इस बिन्दु के अनुपालन में वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न है।<br><u>संलग्नक- 7</u>                                                                                                                                                                                                                          |
| 16 | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित योजना में अपरिहार्य परिस्थिति एवं न्यूनतम संख्या में वृक्षों का पातन वन विभाग की देख-रेख में किया जायेगा तथा पातन लागिंग आदि का व्यय प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।  | इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि परियोजना में प्रभावित 170 वृक्षों का पातन किया जाना प्रस्तावित है, जो कि न्यूनतम है। प्रभावित वृक्षों का पातन उ0प्र0 वन विभाग के माध्यम से वन विभाग की देख-रेख में कराया जायेगा। पातन लॉगिंग आदि का व्यय उ0प्र0 वन विभाग को उनकी मांग के सापेक्ष उपलब्ध करा दिया गया है।<br><u>संलग्नक- 8</u> |
| 17 | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/किरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी ताकि निकटवर्ती वनों की क्षति न हो।                                                          | इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/किरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी जिससे निकटवर्ती वनों को कोई क्षति नहीं होगी।                                                                                                                                                |
| 18 | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वन क्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जायेगा।                                                                                          | इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रस्तावित स्थल/वन क्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जायेगा।                                                                                                                                                                                          |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19 | प्रभावित आरक्षित वनभूमि के सापेक्ष प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उपलब्ध करायी जा रही समतुल्य गैर वनभूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण और दस वर्षों के लिए रख रखाव किया जायेगा।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि परियोजना में प्रभावित आरक्षित वन भूमि 15.255 हे० के सापेक्ष जिलाधिकारी सोनमद्र के माध्यम से कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर के अन्तर्गत ग्राम-पेढ़, परगना-बड़हर, तहसील-घोरावल जिला-सोनमद्र के अन्तर्गत 15.255 हे० गैर वन भूमि उपलब्ध कराते हुए उस पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं दस वर्षों तक रख-रखाव करने हेतु रु०-5144400.00/- की धनराशि परिवेश पोर्टल से उत्पन्न ई-चालान के माध्यम से Uttar Pradesh Campa , IFSC Code. CORP0000371 Account No. 150906134160651 में जमा करा दिया गया है। कैम्पा फण्ड में जमा की गयी धनराशि का एकनालेजमेन्ट स्लिप (पावती) एवं खतौनी की प्रभागीय वनाधिकारी, कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर द्वारा हस्ताक्षरित प्रति संलग्न है। <u>संलग्नक-1 व 2</u> |
| 20 | प्रस्तावक विभाग द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई०ए०संख्या-566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या-5-3/2007-एफ०सी० दि०-05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०बी०) क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि एवं अन्य अनुमन्य देयक, प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (compensatory Afforestation Fund, Management and Planning Authority) में वन विभाग के माध्यम से जमा की जायेगी। तत्पश्चात की विधिवत् स्वीकृति पर विचार किया जायेगा। | इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश तथा भारत सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुपालन में शुद्ध वर्तमान मूल्य, क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि एवं अन्य अनुमन्य देयक, कैम्पा फण्ड पोर्टल से उत्पन्न ई-चालान के माध्यम से उत्तर प्रदेश कैम्पा के निर्धारित खाता में जमा करा दिया गया है। जिसकी सत्यापित प्रति संलग्न है। <u>संलग्नक संख्या-1 व 2</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 21 | उक्त वनभूमि प्रस्तावक विभाग के उपयोग में प्रश्नगत अवधि के अन्दर तब तक रहेगी जब तक कि प्रस्तावक को उसकी उक्त हेतु आवश्यकता रहे। यदि प्रस्तावक को उक्त वनभूमि अथवा उसके किसी भाग की आवश्यकता न रहेगी तो यथा स्थिति उक्त वनभूमि अथवा उसका ऐसा भाग जो प्रस्तावक विभाग के लिए आवश्यक न रहे, वन विभाग, उ०प्र० सरकार को बिना किसी प्रतिकर का भुगतान किये यथास्थिति वापस प्राप्त हो जायेगी।                                                                                                                          | इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रश्नगत वन भूमि का उपयोग आवश्यकता रहने तक मार्ग निर्माण के उपयोग हेतु ही किया जायेगा। यदि आवश्यकता नहीं रहेगी तो प्रश्नगत वन भूमि को वन विभाग को वापस कर दिया जायेगा एवं इस हेतु वन विभाग से किसी प्रकार का प्रतिकर आदि की माँग नहीं की जायेगी। बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है। <u>संलग्नक संख्या- 9</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 22 | प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा यह अण्डरटेकिंग देना होगा कि यदि इस अवधि की एन०पी०बी० संशोधित होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण को जमा करना होगा।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि सम्बन्धित अण्डरटेकिंग वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में संलग्न है। <u>संलग्नक- 10</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 23 | भारत सरकार के पत्र संख्या-5-3/2007-एफसी(पीटी), दि०-19.08.2010 तथा पत्र संख्या-J-11013/41/2006-IA-II(I), दि०- 02 दिसम्बर 2009 के अनुसार प्रस्तावक, विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने यदि लागू है तो (If Applicable), कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व सक्षम स्तर से पर्यावरणीय अनापत्ति/अनुमोदन तथा वन्य जीव की दृष्टि से स्टैडिम कमेटी ऑफ नेशनल वार्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से अनुमोदित अलग-अलग प्राप्त कर लिया जायेगा।                                                          | इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि पर्यावरणीय अनापत्ति/अनुमोदन तथा वन्य जीव की दृष्टि से स्टैडिंग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से अनुमोदन आवश्यक नहीं है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 24 | समस्त वैधानिक/प्रशासनिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि समस्त वैधानिक/प्रशासनिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 25 | उपरोक्त के अतिरिक्त समय-समय पर केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/ मा० न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि समय-समय पर केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/मा० न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन किये जाने हेतु वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न है। <u>संलग्नक- 11</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                            |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26 | पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक-11-9/98-एफसी, दि0-08.07.2011 में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किये हुये भू-संदर्भित डिजीटल डाटा /मानचित्र प्रस्तुत करें, जिसमें वन सीमाओं का विशेष डाटा (shape) फाइल में दशप्रया गया हो।                       | इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है। भूसंदर्भित डिजीटल डाटा/मानचित्र सक्षम प्राधिकारी एवं प्रभागीय निदेशक द्वारा प्रमाणित कर मूल प्रस्ताव में संलग्न है।<br>संलग्नक- 12                                                 |
| 27 | उपरोक्तानुसार निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित समस्त शर्तों/प्रतिबंधों के अनुपालनार्थ प्रभागीय निदेशक द्वारा स्थलीय निरीक्षण कराकर सत्यापन सम्बन्धी प्रमाण-पत्र के साथ ही अनुपालन आख्या प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाय। तदोपरान्त सुसगत प्रमाण-पत्र के आधार पर ही विधिवत स्वीकृति निर्गत की जायेगी। | इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित समस्त शर्तों /प्रतिबंधों की अनुपालन किया गया है एवं प्रभागीय निदेशक द्वारा निरोक्षणोपरान्त वॉछित प्रमाण-पत्र संलग्न है।<br>संलग्नक संख्या- 13. |

उपरोक्तानुसार उ0प्र0 सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुपालन में बचनबद्धता प्रमाण-पत्र सहित सभी शर्तों की अनुपालन आख्या इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि इस प्रकरण में विधिवत स्वीकृति निर्गत कराने हेतु अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

  
रमेश चन्द्र (कटियार)  
अधिशायी अभियन्ता,  
पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड,  
लो0नि0वि0-सोनमद्र।

पत्रांक :- 1033/67136 पीएमजीएसवाई/2021 दिनांक: - 12-07-21

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, जनपद सोनमद्र।
2. अधीक्षण अभियन्ता, मीरजापुर वृत्त, लो0नि0वि0 मीरजापुर।

  
अधिशायी अभियन्ता,  
पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड,  
लो0नि0वि0-सोनमद्र।



सलानक -1

| Funds to be deposited in Govt. Exchequer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>▼ Help</p> <p>Click on  to generate challan.</p> <p> Paid : This icon shows that the payment has been deposited.</p> <p> To be Paid : This icon shows that the payment of this yet to be made.</p> <p> Challan Generated : This icon shows that the challan has been generated.</p> |  |
| <p>ⓈProposals received on or after 15th July 2014 ⓈAll Proposals received upto 14th July 2014</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |

| Sno. | Proposal No.          | Application No   | Application No (New) | Proposal Name                                                                                                                                                                                                                                                          | Category | Area (ha.) | User Agency Name                                 | Date of IN-PRINCIPLE | Demand Verified Date | Action                                                                                     | Sts                                                                                        |
|------|-----------------------|------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|--------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | FP/UP/ROAD/35326/2018 | ROAD353262018604 | 613532660            | WIDENING & STRENGTHENING OF RAMPUR-BARKONIYA TO LAJA VIA MAUKALA ROAD FROM KM 0.00 TO 20.200 UNDER ROAD CONNECTIVITY PROJECT ON LEFT WING EXTREMISM AREA (ROPLWEA) IN TAH.-ROBERTSGANJ, DISTT. SONBHADRA BY PMGSY-DIVISION, P.W.D., SONBHADRA.                         | Road     | 8.01       | PMGSY DIVISION PUBLIC WORKS DEPARTMENT SONBHADRA | 28-8-2020            | 24-11-2020           |  Paid |  Paid |
| 2    | FP/UP/ROAD/34160/2018 | ROAD341602018651 | 613416065            | WIDENING & STRENGTHENING OF RPK ROAD KM 45.00 TO CHARGADA, MANCHI, DEVAR, DAREV, MADAPA ROAD FROM KM 0.00 TO 22.000 UNDER ROAD CONNECTIVITY PROJECT ON LEFT WING EXTREMISM AREA (ROPLWEA) IN TAH.- ROBERTSGANJ, DISTT. SONBHADRA BY PMGSY-DIVISION, P.W.D., SONBHADRA. | Road     | 15.255     | PMGSY DIVISION PUBLIC WORKS DEPARTMENT SONBHADRA | 28-8-2020            | 24-11-2020           |  Paid |  Paid |

रमेश चन्द्र (कटियार)  
अधिकासी. अभियन्ता  
पी.एच.जी.एस.वार्ड.अन्ड,  
लो.पि.बि., सोनभद्र



—: वचनबद्धता प्रमाण पत्र :-

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद सोनभद्र के सोनभद्र वन प्रभाग अन्तर्गत आर०पी०के० किमी० ४५ से चरगड़ा माची देवहार दरेब मड़पा मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण में आने वाली १५.२५५० हे० आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक १७० वृक्षों के पातन की अनुमति सम्बन्धित ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या FP/UP/ROAD/34160/2018 की सैद्धान्तिक स्वीकृति २७ (सत्ताईस) शतों के अधीन विशेष सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन (अनुभाग-२) उ०प्र० शासन लखनऊ के आदेश संख्या P-60/81-2-2020-800(65)/2020 दिनांक २८.०८.२०२० द्वारा प्रदान की गयी है। उक्त सैद्धान्तिक स्वीकृति आदेश के शर्त संख्या-२० के अनुपालन में ग्राम पेढ़, परगना-बड़हर, तहसील-घोरावल के गाटा संख्या - ४०१ख मि में १.०९६० हे०, गाटा संख्या - ५०४ग में १.४१७० हे०, गाटा संख्या - ५०६ग मि में ४.१९८०, गाटा संख्या - ५०९क मि में २.५२८० हे०, ५१६ख में १.२६५० हे०, ५४१क में २.२२५० हे० एवं गाटा संख्या - ५०७ग मि में २.५२६० हे० कुल १५.२५५० हे० गैर वन भूमि वन विभाग के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज करा दिया गया है। जिससे सम्बन्धित खतौनी सत्यापित कर संलग्न है।

प्रभागीय वन अधिकारी,  
कैमूर वन्य जीव प्रभाग,  
मोरजापुर।



# उदरपण खतीनी (शासकीय)

उदरपण क्रमांक : 213014202107230

| ग्राम क्रमांक : 213014                                                                                                                                                                    |                                                      | ग्राम का नाम / परगना : पेठ(बडहर)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      | तहसील : घोरावल                   |                                    | जनपद : सोनमढ                                                                                   |         | फसली वर्ष : 1423-1428 |  | भाग : 1 |  | उदरपण क्रमांक : 213014202107230 |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|--|---------|--|---------------------------------|--|
| खता खतीनी क्रम संख्या                                                                                                                                                                     | खतदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान | भूमिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | खतों के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या | प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.) | खतदार द्वारा देय मातंगुजरी या लगान | परिवर्तन सम्बन्धी आग या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनांक संहित और आग देने वाले अधिकारी का पद | टिप्पणी |                       |  |         |  |                                 |  |
| 1                                                                                                                                                                                         | _____2_____                                          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4                                    | 5                                | 6                                  | 7-12                                                                                           | 13      |                       |  |         |  |                                 |  |
| श्रेणी : 4-क / 5-प्र. अधिकतम जोत सीमा आरोपण.अधि.अन्तर्गत अर्जित की गई अतिरिक्त भूमि (क)जो 3.प्र.जोत सी.आ.अ.के उपबन्धों केअधीन किसी अन्तरिम अवधि के लिये किसी पट्टेदार द्वारा रखी गयी हो । |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |                                  |                                    |                                                                                                |         |                       |  |         |  |                                 |  |
| 00551                                                                                                                                                                                     | सहकारी कृषि समिति / 0000 / नि. ग्राम                 | 1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>1377फ-<br>137 |                                      |                                  |                                    |                                                                                                |         |                       |  |         |  |                                 |  |

1377फ- 557ग 1.8330  
 1377फ- 665फ. 0.4550  
 1377फ- 723 0.5820  
 1377फ- 734 2.2750  
 1377फ- 824 1.2260  
 1377फ- 911 0.3040  
 1377फ- 916 0.2280  
 1377फ- 962 0.7590

मुनं0 201916660303016 धारा 38(2) उपरा0 राजस्व/संविता- 2006 ता0फे0 22.11.2019 न्यायालय उप जिलाधिकारी/असि0क0प्रा0 श्री0घोरावल सोनमद्र द्वारा याद संख्या1 टी201916660302847 में पारित आदेश 01.11.2019 स्थित मीजा पेढ के खाता संख्या 00551 के खातीनी सन् फसली 1429-1428 के आराजी नं0 74ख/0.810हे0 , 320घमी/3.373,321घ/1.518,369 /2.048,378क/1.0900,380/1.441,192ख/0.582,397क /5.603,399क/0.897,401ख/6.678,407/1.263,492क /3.287,493ख/0.534,504ग/1.417,506ग/4.388,507ग /5.678,509कमी/2.5280,516ख/1.265,541क /2.225,597ग/1.833,665क/0.455,723/0.582,734 /2.275,824/1.226,911/0.304,916/0.228,962 /0.759हे0 कुल 27 गाटा रकबा 54.248हे0 भू-राजस्व 3.78 सहकारी कृषी पेढ के नाम जाली एवं फर्जी प्रविष्टि निरस्त कर ग्राम समा बंजर खाते से संशोधित करते हुए सिलिंग भूमि श्रेणी 4-क खाते में दर्ज हो ह0फाका0 04.12.2019

मुनंटी 201916660302847 धारा 38-2 उपरा0संविता ता0फे0 17-02-2021 न्यायालय उप जिलाधिकारी घोरावल सोनमद्र न्यायालय के निर्णयानुसार ग्राम पेढ पं०बडहर सह०घोरावल जि० सोनमद्र एक पत्तीय आदेश दिनांक 01-11-2019 य 22-11-2019 आशिक रूप से गाटा सं० 541क य 557ग य 911 य 916 य 962 श्रेणी 4क सिलिंग खाते के बाबत निरस्त किया जाता है एवं शेष गाटा सं० 79ख रकबा 0.8100हे० य 320घमि रकबा 3.3770हे० य 321घ रकबा 1.5180हे० य 369 रकबा 2.0480हे० य 378क रकबा 1.0500हे० य 380 रकबा 1.4410हे० य 392ख रकबा 0.5820हे० य 397क रकबा 5.6030हे० य 399क रकबा 0.8970हे० य 401ख रकबा 6.6780हे० य 407 रकबा 1.2630हे० य 492क रकबा 3.2870हे० य 493ख रकबा 0.5310हे० य 504ग रकबा 1.4170हे० य 506ग रकबा 4.3880हे० य 507ग रकबा 5.6780हे० य 509कमि रकबा 2.5280हे० य 516क रकबा 1.2650हे० य 665क रकबा 0.4550हे० य 723 रकबा 0.5820हे० य 734 रकबा 2.2750हे० य 824 रकबा 1.2260हे० कुल 22गाटा रकबा 48.899हे० यथागत श्रेणी 4क सिलिंग खाते में कायम रहेगा। ह०फाका० 19-02-2021

मु०न० टी० 202116660300678 धारा 101 उ०प्र० राजस्व संहिता 2006-न्यायालय उप जिलाधिकारी घोरावल सोनभद्र न्यायालय के निर्णयानुसार ग्राम पंढ पर०बडहर तहसील घोरावल सोनभद्र फसली सन् 1423 से 1428 के खाता संख्या 551 आराजी सं० 541क रकबा 2.2250हे० शिइयूल अ याद्विनी विघायती देवी पत्नी भूपेन्द्र बरहदुर सिंह निवासी दाढीराम परगना कन्तिन जिला मीरजापुर के स्थान पर श्रेणी 4 क अतिरिक्त भूमि सीलिंग य खाता सं० 551 के आराजी सं० 824 मि रकबा 0.5000हे० व 401ख रकबा 1.5640हे० योग कुल 2 गाटा कुल रकबा 2.0640हे० शिइयूल व श्रेणी 4 क अतिरिक्त भूमि सीलिंग पर विघायती देवी पत्नी भूपेन्द्र बरहदुर सिंह निवासी दाढीराम परगना कन्तिन जिला मीरजापुर का नाम संक्रमणीय भूमिपर अंकित कर कागजात माल दुरुस्त हो। इ०र०का० 01-03-2021

विविध/पट्टा उप जिलाधिकारी घोरावल स्वीकृति दिनांक 23-02-2021 के आधार ग्राम पंढ पर०बडहर तह०घोरावल जि० सोनभद्र के निम्न आवंटियों को उनके नाम के सम्मुख दर्शित आराजी य रकबे को सीलिंग पट्टेदार के रूप में अंकित किया जाता है -1- छोटे पुत्र अंजन नि०पेठ आ०न० 734मि रकबा 0.1625हे० भू०रा०1.30-2-गुलाब पुत्र अंजन नि०पेठ आ०न० 734मि रकबा 0.1625हे० भू०रा०1.30-3- सूर्यबली पुत्र हरख नि०पेठ आ०न० 723मि रकबा 0.1455हे० भू०रा०1.20-4-शंकर पुत्र हरख नि०पेठ आ०न० 723मि रकबा 0.1455हे० भू०रा०1.20-5- बुद्धिधराम पुत्र हरख नि०पेठ आ०न० 723मि रकबा 0.1455हे० भू०रा०1.20-6-भोला पुत्र हरख नि०पेठ आ०न० 723मि रकबा 0.1455हे० भू०रा०1.20-7- राधेधराम पुत्र रामदेव नि०पेठ आ०न० 734मि रकबा 0.1625हे० भू०रा०1.30-8-शिवप्रसाद पुत्र लालता नि०पेठ आ०न० 734मि रकबा 0.1625हे० भू०रा०1.30-9-रामप्रसाद पुत्र लालता नि०पेठ आ०न० 734मि रकबा 0.1625हे० भू०रा०1.30-10-मालमृत पुत्र राजकुमार नि०पेठ आ०न० 734मि रकबा 0.1625हे० भू०रा०1.30-11-धर्मनंद पुत्र राजकुमार नि०पेठ आ०न० 734मि रकबा 0.1625हे० भू०रा०1.30-12-सुरेन्द्र पुत्र राजकुमार नि०पेठ आ०न० 734मि रकबा 0.1625हे० भू०रा०1.30-13-निर्मला देवी पत्नी स्व०राजकुमार नि०पेठ आ०न० 734मि रकबा 0.1625हे०



भूरा०१.३०-१४-रामकुमार पुत्र अमृत नि०पेठ नि०पेठ  
आ०न० ७३४मि रकबा ०.१६२५हे० भूरा०१.३०-१५-  
प्रमोद कुमार पुत्र अमृत नि०पेठ आ०न० ७३४मि रकबा  
०.१६२५हे० भूरा०१.३०-१६-सन्तोष पुत्र अमृत नि०पेठ  
आ०न० ७३४मि रकबा ०.१६२५हे० भूरा०१.३०-१७-  
बसुन्धर पुत्र मूल नि०पेठ आ०न० ७३४मि रकबा  
०.१६२५हे० भूरा०१.३०-१८-रमजतन पुत्र घरे नि०पेठ  
आ०न० ७३४मि रकबा ०.१६२५हे० भूरा०१.३० । उपरोक्त  
विवरणानुसार सीलिंग पट्टेदार अंकित हो। ह००००००००  
०२-०४-२०२१

पेट-6-गाटा सं० 401 ख नि० रकबा 1.0960 हे० व 504 ग रकबा 1.4170 हे० व 505 ग नि० रकबा 4.1980 हे० व 509 क नि० रकबा 2.5280 हे० व 516 ख रकबा 1.2650 हे० व 541 क रकबा 2.2250 हे० व 507 ग नि० रकबा 2.5260 हे० व योग 07 गाटा रकबा 15.2550 हे०-8 भूमि की श्रेणी-4 क-सोतिगं-9 प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्व्यवस्था की जा रही है- वन विभाग-कतिपूरक यतीकरण हेतु- पुनर्व्यवस्था भूमि का उपयोग स्तम्भ-9 में उल्लिखित प्रयोजन में किया जायेगा। ह०-२०२१

9 0

₹ 330.78

542480

27

कुल गाटे- दो सात कुल क्षेत्रफल- पाँच चार दशमलव दो चार आठ शून्य (सैन्टेयर) कुल भू-राजस्व - तीन तीन शून्य दशमलव सात आठ रुपये

Data Digitally Signed by: VINAY KUMAR SINGH

सहस्र अधिकारी: VINOD KUMAR DUBEY



तहसील: धौलपुर जलपथ: सोनभद्र व राजस्व

उपरोक्त उद्घरण खतीनी का वेरीफिकेशन <http://upbhulekh.gov.in> Website पर जाकर किया जा सकता है।

दिनांक एवं समय: 07-07-2021

यह उद्घरण खतीनी इसके द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजिटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है।

प्रभागीय वनाधिकारी  
कैमूर वन्य जीव प्रभाग  
मीरजापुर

—: वचनबद्धता प्रमाण पत्र :—

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद सोनभद्र के सोनभद्र वन प्रभाग अन्तर्गत आर०पी०के० किमी० 45 से चरगड़ा माची देवहार दरेब मड़पा मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण में आने वाली 15.2550 हे० आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 170 वृक्षों के पातन की अनुमति सम्बन्धित ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या FP/UP/ROAD/34160/2018 की सैद्धान्तिक स्वीकृति 27 (सत्ताईस) शर्तों के अधीन विशेष सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन (अनुभाग-2) उ०प्र० शासन लखनऊ के आदेश संख्या P-60/81-2-2020-800(65)/2020 दिनांक 28.08.2020 द्वारा प्रदान की गयी है। उक्त सैद्धान्तिक स्वीकृति आदेश के शर्त संख्या-8 के अनुपालन में प्रश्नगत वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किये जाने हेतु वचनबद्धता प्रस्तुत करता हूं।

(संजीव कुमार सिंह)  
प्रभागीय वनाधिकारी,  
सोनभद्र वन प्रभाग,  
सोनभद्र।

  
रमेश चन्द्र (कटियार)  
अधिशाली अभियन्ता,  
पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड,  
लो०नि०वि०, सोनभद्र।



**:- वचनबद्धता प्रमाण पत्र :-**

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद सोनभद्र के सोनभद्र वन प्रभाग अन्तर्गत आर०पी०के० किमी० 45 से चरगड़ा माची देवहार दरेब मड़पा मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण में आने वाली 15.2550 हे० आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 170 वृक्षों के पातन की अनुमति सम्बन्धित ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या FP/UP/ROAD/34160/2018 की सैद्धान्तिक स्वीकृति 27 (सत्ताईस) शर्तों के अधीन विशेष सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन (अनुभाग-2) उ०प्र० शासन लखनऊ के आदेश संख्या P-60/81-2-2020-800(65)/2020 दिनांक 28.08.2020 द्वारा प्रदान की गयी है। उक्त सैद्धान्तिक स्वीकृति आदेश के शर्त संख्या-12 के अनुपालन में प्रश्नगत वन भूमि एवं उसके आस-पास की भूमि पर स्थिति फलौरा एवं फौना की कोई क्षति नहीं पहुंचाई जायेगी इस हेतु वचनबद्धता प्रस्तुत करता हूं।

(संजीव कुमार सिंह)  
प्रभागीय वनाधिकारी,  
सोनभद्र वन प्रभाग,  
सोनभद्र।

  
रमेश चन्द्र (कटियार)  
अधिशाली अभियन्ता,  
पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड,  
लो०नि०वि०, सोनभद्र।

**:- वचनबद्धता प्रमाण पत्र :-**

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद सोनभद्र के सोनभद्र वन प्रभाग अन्तर्गत आर०पी०के० किमी० 45 से चरगड़ा माची देवहार दरेब मड़पा मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण में आने वाली 15.2550 हे० आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 170 वृक्षों के पातन की अनुमति सम्बन्धित ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या FP/UP/ROAD/34160/2018 की सैद्धान्तिक स्वीकृति 27 (सत्ताईस) शर्तों के अधीन विशेष सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन (अनुभाग-2) उ०प्र० शासन लखनऊ के आदेश संख्या P-60/81-2-2020-800(65)/2020 दिनांक 28.08.2020 द्वारा प्रदान की गयी है। उक्त सैद्धान्तिक स्वीकृति आदेश के शर्त संख्या-13 के अनुपालन में प्रश्नगत वन भूमि का उपयोग केवल मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के लिए ही किया जायेगा। अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किये जाने हेतु वचनबद्धता प्रस्तुत करता हूँ।

(संजीव कुमार सिंह)  
प्रभागीय वनाधिकारी,  
सोनभद्र वन प्रभाग,  
सोनभद्र।

  
रमेश चन्द्र (कटियार)  
अधिशाली अभियन्ता,  
पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड,  
लो०नि०वि०, सोनभद्र।

**Government of Uttar Pradesh**  
**Office of the District Collector**  
**Sonbhadra (U.P.)**

No.....877/4C.....

Dated.....27.11.18.....

**TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN**

In compliance of Ministry of Environment & Forest (MoE&F), Govt. of India's, letter No.11-09/98-FC(pt) dated 28<sup>th</sup> October 2014, It is certified that Project envisages the use of 15.255 ha. Forest Land for diversion (under FCA-1980) for Widening & Strengthening of RPK ROAD Km 45.00 to Chargada, Manchi, Devhar, Darev, Madapa ROAD FROM KM 0.00 TO 22.000 Under Road Connectivity Project On Left Wing Extremism Area (Rcplwea) By PMGSY-Division, P.W.D., Sonbhadra falls within villages- Suarset, Dhobi, Siyariya, Devhar, Madapa, Chargada in Tahsil-Robertsganj, Distt. Sonbhadra (U.P.)

It is further certified that the forest land proposed to be diverted is plantation which was notified as "forest" less than 75 years prior to the 13<sup>th</sup> day of December 2005 and is located in villages having no recorded population of Scheduled Tribes, as per the Census 2001 and the Census 2011. Therefore, "No" rights of Primitive of Tribal groups and Pre-agriculture Communities are being affected.

26/11/18  
 (Er. SANTRAM)  
 EXECUTIVE ENGINEER  
 P.M.G.S.Y. DIV. P.W.D.  
 SONBHADRA (U.P.)

प्रतिहस्ताक्षरित

21/11/19  
 (संजीव कुमार सिंह)  
 प्रभागीय वनाधिकारी  
 सोनभद्र वन प्रभाग, सोनभद्र

26/11/18  
 District Magistrate  
 Sonbhadra  
 (अमित कुमार सिंह)  
 जिला मजिस्ट्रेट  
 सोनभद्र

रमेश चन्द्र (कटियार)  
 अधिवासी अभियन्ता  
 पी.एम.जी.एस.वाई.खण्ड,  
 लो.वि.वि., सोनभद्र



**—: वचनबद्धता प्रमाण पत्र :—**

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद सोनभद्र के सोनभद्र वन प्रभाग अन्तर्गत आर०पी०के० किमी० 45 से चरगड़ा माची देवहार दरेब मड़पा मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण में आने वाली 15.2550 हे० आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 170 वृक्षों के पातन की अनुमति सम्बन्धित ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या FP/UP/ROAD/34160/2018 की सैद्धान्तिक स्वीकृति 27 (सत्ताईस) शर्तों के अधीन विशेष सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन (अनुभाग-2) उ०प्र० शासन लखनऊ के आदेश संख्या P-60/81-2-2020-800(65)/2020 दिनांक 28.08.2020 द्वारा प्रदान की गयी है। उक्त सैद्धान्तिक स्वीकृति आदेश के शर्त संख्या-15 के अनुपालन में प्रश्नगत वन भूमि हेतु यदि राज्य सरकार/भारत सरकार/वन विभाग द्वारा कोई अतिरिक्त शर्त लगायी जाती है तो विभाग उस शर्त का अनुपालन करने हेतु वचनबद्धता प्रस्तुत करता है।

(संजीव कुमार सिंह)  
प्रभागीय वनाधिकारी,  
सोनभद्र वन प्रभाग,  
सोनभद्र।

  
रमेश चन्द्र (कटियार)  
अधिशायी अभियन्ता,  
पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड,  
लो०नि०वि०, सोनभद्र।

—: वचनबद्धता प्रमाण पत्र :-

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद सोनभद्र के सोनभद्र वन प्रभाग अन्तर्गत आर०पी०के० किमी० 45 से चरगड़ा माची देवहार दरेब मड़पा मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण में आने वाली 15.2550 हे० आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 170 वृक्षों के पातन की अनुमति सम्बन्धित ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या FP/UP/ROAD/34160/2018 की सैद्धान्तिक स्वीकृति 27 (सत्ताईस) शर्तों के अधीन विशेष सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन (अनुभाग-2) उ०प्र० शासन लखनऊ के आदेश संख्या P-60/81-2-2020-800(65)/2020 दिनांक 28.08.2020 द्वारा प्रदान की गयी है। उक्त सैद्धान्तिक स्वीकृति आदेश के शर्त संख्या-16 के अनुपालन में प्रश्नगत वन भूमि में प्रभावित वृक्षों का पातन उत्तर प्रदेश वन विभाग के माध्यम से वन विभाग की देख-रेख में कराया जायेगा। पातन लॉगिक आदि का व्यय उ०प्र० वन विभाग को उनकी मांग के सापेक्ष उपलब्ध कराने हेतु विभाग वचनबद्धता प्रस्तुत करता है।

(संजीव कुमार सिंह)  
प्रभागीय वनाधिकारी,  
सोनभद्र वन प्रभाग,  
सोनभद्र।

  
रमेश चन्द्र (कटियार)  
अधिशासी अभियन्ता,  
पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड,  
लो०नि०वि०, सोनभद्र।

**—: वचनबद्धता प्रमाण पत्र :—**

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद सोनभद्र के सोनभद्र वन प्रभाग अन्तर्गत आर०पी०के० किमी० 45 से चरगड़ा माची देवहार दरेब मड़पा मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण में आने वाली 15.2550 हे० आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 170 वृक्षों के पातन की अनुमति सम्बन्धित ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या FP/UP/ROAD/34160/2018 की सैद्धान्तिक स्वीकृति 27 (सत्ताईस) शर्तों के अधीन विशेष सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन (अनुभाग-2) उ०प्र० शासन लखनऊ के आदेश संख्या P-60/81-2-2020-800(65)/2020 दिनांक 28.08.2020 द्वारा प्रदान की गयी है। उक्त सैद्धान्तिक स्वीकृति आदेश के शर्त संख्या-21 के अनुपालन में प्रश्नगत वन भूमि का उपयोग मार्ग के आवश्यकता होने तक किया जायेगा। यदि मार्ग की आवश्यकता नहीं रहेगी तो उसे वन विभाग को वापस कर दिया जायेगा। वापस करने के उपरान्त वन विभाग से कोई प्रतिकर की मांग नहीं की जायेगी।

(संजीव कुमार सिंह)  
प्रभागीय वनाधिकारी,  
सोनभद्र वन प्रभाग,  
सोनभद्र।

  
रमेश चन्द्र (कटियार)  
अधिशाली अभियन्ता,  
पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड,  
लो०नि०वि०, सोनभद्र।



**—: वचनबद्धता प्रमाण पत्र :—**

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद सोनभद्र के सोनभद्र वन प्रभाग अन्तर्गत आर०पी०के० किमी० 45 से चरगड़ा माची देवहार दरेब मड़पा मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण में आने वाली 15.2550 हे० आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 170 वृक्षों के पातन की अनुमति सम्बन्धित ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या FP/UP/ROAD/34160/2018 की सैद्धान्तिक स्वीकृति 27 (सत्ताईस) शर्तों के अधीन विशेष सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन (अनुभाग-2) उ०प्र० शासन लखनऊ के आदेश संख्या P-60/81-2-2020-800(65)/2020 दिनांक 28.08.2020 द्वारा प्रदान की गयी है। उक्त सैद्धान्तिक स्वीकृति आदेश के शर्त संख्या-22 के अनुपालन में प्रश्नगत वन भूमि के सापेक्ष यदि इस अवधि की एन०पी०वी० संशोधित है, तो बढ़ी हुई धनराशि को जमा कराने हेतु विभाग वचनबद्धता प्रस्तुत करता है।

(संजीव कुमार सिंह)  
प्रभागीय वनाधिकारी,  
सोनभद्र वन प्रभाग,  
सोनभद्र।

  
रमेश चन्द्र (कटियार)  
अधिशाली अभियन्ता,  
पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड,  
लो०नि०वि०, सोनभद्र।

**—: वचनबद्धता प्रमाण पत्र :—**

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद सोनभद्र के सोनभद्र वन प्रभाग अन्तर्गत आर०पी०के० किमी० 45 से चरगड़ा माची देवहार दरेब मड़पा मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण में आने वाली 15.2550 हे० आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 170 वृक्षों के पातन की अनुमति सम्बन्धित ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या FP/UP/ROAD/34160/2018 की सैद्धान्तिक स्वीकृति 27 (सत्ताईस) शतों के अधीन विशेष सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन (अनुभाग-2) उ०प्र० शासन लखनऊ के आदेश संख्या P-60/81-2-2020-800(65)/2020 दिनांक 28.08.2020 द्वारा प्रदान की गयी है। उक्त सैद्धान्तिक स्वीकृति आदेश के शर्त संख्या-25 के अनुपालन में प्रश्नगत कार्य में समय-समय पर केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/मा० न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन करने हेतु वचनबद्धता प्रस्तुत करता हूँ।

(संजीव कुमार सिंह)  
प्रभागीय वनाधिकारी,  
सोनभद्र वन प्रभाग,  
सोनभद्र।

रमेश चन्द्र (कटियार)  
अधिशायी अभियन्ता,  
पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड,  
लो०नि०वि०, सोनभद्र।

**:- वचनबद्धता प्रमाण पत्र :-**

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद सोनभद्र के सोनभद्र वन प्रभाग अन्तर्गत आर०पी०के० किमी० 45 से चरगड़ा माची देवहार दरेब मड़पा मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण में आने वाली 15.2550 हे० आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 170 वृक्षों के पातन की अनुमति सम्बन्धित ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या FP/UP/ROAD/34160/2018 की सैद्धान्तिक स्वीकृति 27 (सत्ताईस) शतों के अधीन विशेष सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन (अनुभाग-2) उ०प्र० शासन लखनऊ के आदेश संख्या P-60/81-2-2020-800(65)/2020 दिनांक 28.08.2020 द्वारा प्रदान की गयी है। उक्त सैद्धान्तिक स्वीकृति आदेश के शर्त संख्या-25 के अनुपालन में प्रश्नगत कार्य में समय-समय पर केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/मा० न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन करने हेतु वचनबद्धता प्रस्तुत करता हूँ।

(संजीव कुमार सिंह)  
प्रभागीय वनाधिकारी,  
सोनभद्र वन प्रभाग,  
सोनभद्र।

  
रमेश चन्द्र (कटियार)  
अधिशाली अभियन्ता,  
पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड,  
लो०नि०वि०, सोनभद्र।



67136 सामग्री / KML  
file की डिजिटल प्रति  
संलग्नक CD

**—: वचनबद्धता प्रमाण पत्र :—**

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद सोनभद्र के सोनभद्र वन प्रभाग अन्तर्गत आर०पी०के० किमी० 45 से चरगड़ा माची देवहार दरेब मड़पा मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण में आने वाली 15.2550 हे० आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 170 वृक्षों के पातन की अनुमति सम्बन्धित ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या FP/UP/ROAD/34160/2018 की सैद्धान्तिक स्वीकृति 27 (सत्ताईस) शर्तों के अधीन विशेष सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन (अनुभाग-2) उ०प्र० शासन लखनऊ के आदेश संख्या P-60/81-2-2020-800(65)/2020 दिनांक 28.08.2020 द्वारा प्रदान की गयी है। उक्त सैद्धान्तिक स्वीकृति आदेश के अनुपालन में वांछित धनराशि जमा कराते हुए बिन्दुवार अनुपालन आख्या अधिशासी अभियन्ता, पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड, लोक निर्माण विभाग, सोनभद्र के पत्र संख्या 1033 / 67136 -पी०एम०जी०एस०वाई०/2021, दिनांक 12.07.2021 द्वारा प्रस्तुत की गयी है। प्रस्तुत किये गये अनुपालन आख्या के आधार पर प्रश्नगत क्षेत्र का संयुक्त निरीक्षण दिनांक को किया गया।

उ०प्र० शासन के उक्त सैद्धान्तिक स्वीकृति आदेश दिनांक 28.08.2020 में अंकित समस्त शर्तों का अनुपालन किया गया है तथा भविष्य में बिना कोई विवाद के अनुपालन करने हेतु वचनबद्धता प्रस्तुत करता हूँ।

(संजीव कुमार सिंह)  
प्रभागीय वनाधिकारी,  
सोनभद्र वन प्रभाग,  
सोनभद्र।

  
रमेश चन्द्र (कटियार)  
अधिशासी अभियन्ता,  
पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड,  
लो०नि०वि०, सोनभद्र।